

राजस्थान उच्च न्यायालय,

जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9636/2024

हरनाथ योगी पुत्र श्री गणपत लाल योगी, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी गांव दिवारा, पोस्ट शेषा, तहसील मलारना इंगर, जिला सवाई माधोपुर, (राजस्थान)- 322024.

आवेदक ने सहायक लोको पायलट और तकनीशियन, (ग्रुप-सी), रेलवे भर्ती बोर्ड, मुंबई, भारत सरकार, रेल मंत्रालय के पद के लिए आवेदन किया है।

विषय:- भर्ती।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

- रेलवे भर्ती बोर्ड, मुंबई जरिये अध्यक्ष, पश्चिमी रेलवे, मंडल कार्यालय परिसर, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400008.
- सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, मुंबई, पश्चिमी रेलवे, मंडल कार्यालय परिसर, मुंबई सेंट्रल, मुंबई- 400008
- सचिव, रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड, मंत्रालय रेलवे, भारत सरकार, नई दिल्ली-110006.

-----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री येनु सात्यन

प्रतिवादीगण की ओर से : श्री एच.सी. मौर्य के साथ
सुश्री नंदिनी चतुर्वेदी,
श्री प्रशांत चतुर्वेदी के लिए

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रमिल कुमार माथुर

आदेश

10/02/2025

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):

1. यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर पीठ, जयपुर (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
2. प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता, केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 01/2014 दिनांक 18.01.2014 (इसके बाद 'सूचना' के रूप में संदर्भित) द्वारा विज्ञापित सहायक लोको पायलट के पद पर चयन न होने से व्यथित होकर, वर्ष 2023 में मूल प्रार्थना पत्र दायर किया। अधिकरण ने खंड 13.08 पर भरोसा करते हुए यह माना कि अधिकरण की राजस्थान पीठ को मामले की सुनवाई करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था, लेकिन उसके बाद मामले के गुण-दोष पर निर्णय देने के लिए आगे बढ़ गया।

सूचना का खंड 13.08 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"13.08 इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना से उत्पन्न होने वाले कोई भी कानूनी मुद्दे संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों के कानूनी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे, जिसके तहत संबंधित आरआरबी स्थित है।"

3. 29.08.2024 को सुनवाई की सूचना जारी करते समय, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-
-

"याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अधिकरण ने यह मानने के बावजूद कि उसके पास क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं है, मामले के गुण-दोष पर निर्णय देकर अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है।

10.10.2024 के लिए सुनवाई की सूचना।"

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाई गई दलील तर्कसंगत है।
5. सर्वोच्च न्यायालय ने टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य, 112 एसटीसी 543 (एससी) में रिपोर्टेड मामले में, यह माना कि याचिकाकर्ता को वैकल्पिक उपचार के लिए भेजते हुए याचिका को खारिज करते समय, न्यायालय को मामले के गुण-दोष पर निर्णय नहीं देना चाहिए। प्रासंगिक पैरा नीचे उद्धृत किया गया है:-

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब किसी व्यक्ति के लिए एक वैकल्पिक और समान रूप से प्रभावकारी उपचार उपलब्ध हो, तो उससे यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वह उस उपचार का अनुसरण करे और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान न करे और जहां ऐसा उपचार उपलब्ध हो, वहां संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका को स्वीकार करने से इनकार करना विवेक का एक सही उपयोग होगा। वर्तमान मामले में, निस्संदेह, अपीलकर्ता के पास निर्धारण के आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करके एक वैकल्पिक और समान

रूप से प्रभावकारी उपचार उपलब्ध था और अपीलकर्ता के लिए ऐसे उपचार के उपलब्ध होने के मद्देनजर, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर रिट याचिका को खारिज करके सही किया कि अपीलकर्ता के पास बिहार बिक्री कर अधिनियम के तहत एक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। हालांकि, हम उच्च न्यायालय के उस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं जब उसने वैकल्पिक उपचार के आधार पर रिट याचिका को खारिज करते समय मामले के गुण-दोष को छूते हुए कई टिप्पणियां कीं। यदि अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका को वैकल्पिक उपचार के आधार पर खारिज किया जाना है, तो उच्च न्यायालय को मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, जिसे एक वैकल्पिक मंच के समक्ष उठाया जाना है। यह सच है कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने वैकल्पिक उपचार के अस्तित्व की आपत्ति को दूर करने के अपने प्रयास में, मामले के गुण-दोष पर न्यायालय को संबोधित किया और इस तरह उच्च न्यायालय द्वारा मामले के गुण-दोष पर टिप्पणियों को आमंत्रित किया। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि उच्च न्यायालय को वैकल्पिक उपचार के आधार पर रिट याचिका को खारिज करना है, तो यह क्षेत्राधिकार का एक सही उपयोग होगा कि वह मामले के गुण-दोष पर कोई भी

राय व्यक्त करने से बचे जिसे अंततः एक व्यक्ति द्वारा
एक वैकल्पिक मंच के समक्ष उठाया जाना है।"

6. एक बार जब अधिकरण ने यह मान लिया कि उसे ओ.ए. पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था, तो यह न्याय-क्षेत्राधिकार रहित हो गया और मामले के गुण-दोष पर निर्णय देने का कोई अवसर नहीं था। यह सुस्थापित है कि क्षेत्राधिकार न रखने वाले न्यायालय द्वारा पारित आदेश अकृत होता है। वर्तमान मामले में, अधिकरण ने स्वयं माना कि उसे खंड 13.08 के मद्देनजर ओ.ए. पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था, उसके बाद परिसीमा और गुण-दोष पर पारित किया गया आदेश शून्य है। आक्षेपित आदेश, परिसीमा और मामले के गुण-दोष के मुद्दे पर निर्णय देने की सीमा तक अपास्त किया जाता है और रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

7. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता कानून के अनुसार उपचार प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(प्रमिल कुमार माथुर), जे

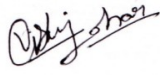
(अवनीश झिंगन), जे

सिंपल कुमावत /164

रिपोर्ट योग्य: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और

आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़